विधानसभा / महत्वपूर्ण

# संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-directorateoffood@gmail.com, website- www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 78 /वि.स. /2025 अटल नगर, दिनांक 14/02/2025

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक,**
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ
मर्या., अटल नगर, नवा रायपुर

2. **प्रबंध संचालक,**
अपेक्स बैंक,
नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.

3. **समस्त कलेक्टर,**
छत्तीसगढ़

**विषयः– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1076 अतारांकित द्वारा डॉ. चरणदास महंत, सदस्य विधानसभा।**

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1076 अतारांकित की प्रति संलग्न है। उपरोक्त विधानसभा प्रश्न के उत्तर यूनिकोड फॉन्ट में पूरक जानकारी सहित दिनांक 17.02.2025 तक ई–मेल के माध्यम से भिजवाने का कष्ट करें। उत्तर के परिशिष्ट एक पेज से अधिक होने की स्थिति में सीडी अथवा ई–मेल (**dirfood.cg@nic.in/directorateoffood@gmail.com**) के माध्यम से परिशिष्ट की जानकारी यूनिकोड फॉन्ट में हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित उपलब्ध कराने कराने का कष्ट करें। (विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड कर सकते है)

**संलग्न–उपरोक्तानुसार**

for **अपर संचालक**
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर
संचालनालय, रायपुर

पृ.क्रमांक– 79 /वि.स./2025 अटल नगर, दिनांक 14/02/2025

**प्रतिलिपि :–**

समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विधानसभा प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय–सीमा में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

for **अपर संचालक**
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर
संचालनालय, रायपुर

# छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

## प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **25/02/2025**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **04/03/2025** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में हानि।**

( **अतारांकित** प्रश्न क्रमांक : **1076** ) **डॉ.चरण दास महंत**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु कितनी-कितनी राशि के दावे प्रस्तुत किये गये ? क्या इन दावों में धान संग्रहण केन्द्रों पर हुई शार्टेज की राशि भी सम्मिलित है ? (ख) कितनी-कितनी राशि स्वीकृत और भुगतान की गई ? कितनी राशि के दावे लंबित हैं तथा कितना भुगतान शेष है? वर्षवार बताएं? (ग) उपरोक्त वर्षों में धान उपार्जन की वह मात्रा कितनी-कितनी है जिसके मूल्य का भुगतान किसानों को किया गया तथा वह मात्रा कितनी-कितनी है जो उपार्जन केन्द्रों पर हुई शार्टेज को कम करके अंतिम रूप से मान्य किया गया है ? वर्षवार बताएं? (घ) क्या धान उपार्जन केन्द्रों तथा संग्रहण केन्द्रों पर शार्टेज मान्य किया जाता है ? यदि हां, तो किस दर से तथा केंद्र सरकार किस दर से सूखत के कारण शार्टेज मान्य करती है? इसका लाभ किसे दिया जाता है?

**Sent From :** vidhan [ **Sent Date :** 14/02/2025 11:05:16 ]

**Remark :**

मार्कफेड, अपेक्स बैंक

समस्त करें।